निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रॉक :C-730/बा0वि0परि0/स्निप/2017-18 दिनॉकः 23 नवम्बर, 2017

जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मैनपुरी, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, रामपुर, फर्रूखाबाद, इटावा, कानपुर नगर, फतेहपुर, इलाहाबाद, झाँसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, गाजीपुर, आजमगढ़, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, फैजाबाद, बाराबंकी, गाजियाबाद, कानपुर देहात, मऊ, सिद्धार्थनगर, महोबा, भदोही, कुशीनगर, चन्दौली, हाथरस, सन्तकबीर नगर, औरैया, कौशाम्बी, बागपत, जे0पी0 नगर तथा चित्रकूट।

विषयः वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आई0एस0एस0एन0आई0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत समुदाय परम्परागत गतिविधियों जैसे अन्नप्राशन एवं गोदभराई कार्यक्रम की 03 गतिविधि हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति।

पत्र के साथ संलग्न शासनादेश संख्या 50/2017/2687/60-2-17-2/3(6)/13 दिनॉक 21.11.2017 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा 41 जनपदों की 471 बाल विकास परियोजनाओं में संचालित 91179 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर समुदाय आधारित परम्परागत गतिविधियों अन्नप्राशन एवं गोदभराई कार्यक्रम कराये जाने हेतु प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र पर रू0 250.00 प्रतिमाह की दर से 03 समुदाय आधारित गतिविधियों हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त शासनादेश की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि का अग्रिम आहरण करते हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्त्री एवं मातृ समिति की अध्यक्षा के संयुक्त बैंक खाते में प्रतिमाह की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अग्रिम धनराशि आहरित कर ट्रांसफर करते हुए भारत सरकार एवं निदेशालय से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार समुदाय आधारित परम्परागत गतिविधियों जैसे अन्नप्राशन एवं गोदभराई आदि का सुचारू संचालन करना सुनिश्चित करायें। कार्यक्रम में समुदाय की भागीदारी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये, प्रत्येक कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था की जाय तथा नियमानुसार लाभार्थियों की पृथक रूप से अभिलेख रखा जाय। प्रत्येक कार्यक्रम की सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाय। आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक गतिविधि हेतु अग्रिम आहरण के समायोजन के उपरान्त दूसरा अग्रिम आहरित किया जायेगा। अग्रिम आहरित धनराशि का समायोजन प्रतिमाह नियमानुसार

D:\ICDS-GEN\BUDGET\BUDG17-2017-18\... godbharai ... .doc

समय से कराते हुए भारत सरकार से प्राप्त निर्धारित प्रारूपों पर स्तरवार सूचना संकलित कर जे0पी0सी0(स्निप), मुख्यालय को प्रत्येक माह उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन ____________ /तद्‌दिनॉक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. जे0पी0सी0(स्निप), मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यक्रम का प्रभावी ढंग से अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।
5. उपनिदेशक, मुख्यालय को इस आशय से कि संलग्नकों सहित इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करायें।

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

संख्या-50/2017/2687/60-2-17-2/3(6)/13

प्रेषक,

शिवराज कुमार यादव
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 21 नवम्बर, 2017

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आई.एस.एस.एन.आई.पी. योजना के अन्तर्गत समुदाय परम्परागत गतिविधियों जैसे अन्नप्राशन एवं गोदभराई कार्यक्रम हेतु अग्रिम आहरण का शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-1048/बा0वि0परि0/जे0पी0सी0(स्निप)/2017-18, दिनांक 26.09.2017 के संदर्भ में अवगत कराना है कि स्निप योजना से आच्छादित प्रदेश के 41 जनपदों की 471 बाल विकास परियोजनाओं में संचालित 91179 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अन्नप्राशन एवं गोदभराई कार्यक्रम कराये जाने हेतु प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र रूपये 250.00 की दर से प्रति गतिविधि रूपये 2,27,94,750/- के आधार पर 02 समुदाय आधारित गतिविधि कार्यक्रम कराये जाने हेतु रूपये 4,55,89,500/- (रूपये चार करोड़ पचपन लाख नवासी हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि का अग्रिम आहरण करने की स्वीकृति शासनादेश संख्या-27/2017/1020/60-2-17-2/3(6)/13, दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा दी गयी है।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्निप योजना से आच्छादित प्रदेश के 41 जनपदों की 471 बाल विकास परियोजनाओं में संचालित 91179 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अन्नप्राशन एवं गोदभराई कार्यक्रम कराये जाने हेतु संलग्नक के अनुसार प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र रूपये 250.00 की दर से प्रति गतिविधि रूपये 2,27,94,750/- के आधार पर 03 समुदाय आधारित गतिविधियों (माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2017 एवं जनवरी, 2018) को संचालित कराये जाने हेतु रूपये 6,83,84,250/- (रूपये छः करोड़ तिरासी लाख चौरासी हजार दो सौ पचास मात्र) की धनराशि का अग्रिम आहरण करने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त धनराशि का अग्रिम आहरण वित्त (लेखा), अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.83, शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10.06.11 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15-1(1)/69 दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(2) धनराशि का अग्रिम आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा। अग्रिम आहरण के फलस्वरूप शासन को यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) धनराशि निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।

(4) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी धन को आहरित करेगा, वहीं उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(5) पिछले स्वीकृत किये गये समस्त अग्रिमों एवं अब तक स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम का समायोजन दिनांक 31 मार्च, 2018 तक अवश्य करा लिया जाय तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुए वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जायेगा। समायोजन सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही अगले अग्रिम आहरण का प्रस्ताव किया जायेगा।

(6) आंगनवाड़ी केन्द्र पर एक गतिविधि हेतु अग्रिम आहरण के उपरान्त दूसरा अग्रिम आहरित किया जायेगा।

(7) उपरोक्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जाने वाली धनराशि के व्यय से सम्बन्धित लेखों के रख-रखाव, बैंक खाते से नियमित रूप से समाधान (रिकन्सीलिएशन) आडिट के सम्बन्ध में विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से विस्तृत दिशा-निर्देश यथाशीघ्र जारी किये जायेंगे तथा इसमें विभिन्न स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण कर दिया जायेगा।

(8) इस योजना के अन्तर्गत धन संचरण, लेखों के रख-रखाव, आडिट इत्यादि के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-97-वाह्य सहायतित योजनाएं-9703-आई.एस.एस.एन.आई.पी. (सामाजिक जागरूकता) के मानक मद-42-अन्य व्यय(के.88/रा.12-के.+रा.)" के नाम डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-एफ.ए.-391/दस-2017, दिनांक 10 नवम्बर, 2017 के द्वारा दी गयी सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,

(शिवराज कुमार यादव)
अनु सचिव

संख्या-50/2017/2687(1)/60-2-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1।
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग/वित्त (लेखा) अनुभाग-1।
7. समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या-2687/60-2-17-2/3(6)/13, दिनांक 1[illegible] नवम्बर, 2017 का संलग्नक

Budget Requirement for 3 CBE events

S.No	Name of District	No. of AWCs	Amount per CBE event (Rs)	No. of events	Total Budget (Rs)
1	Aligarh	2907	250	3	2,180,250
2	Allahabad	4351	250	3	3,263,250
3	Auraiya	1530	250	3	1,147,500
4	Azamgarh	5396	250	3	4,047,000
5	Baghpat	922	250	3	691,500
6	Banda	1598	250	3	1,198,500
7	Barabanki	2930	250	3	2,197,500
8	Bhadohi	1381	250	3	1,035,750
9	Bulandsahar	3792	250	3	2,844,000
10	Chandauli	1783	250	3	1,337,250
11	Chitrakoot	891	250	3	668,250
12	Etwah	1534	250	3	1,150,500
13	Faizabad	1864	250	3	1,398,000
14	Farrukabad	1504	250	3	1,128,000
15	Fatehpur	2744	250	3	2,058,000
16	Gaziabad	1318	250	3	988,500
17	Gazipur	4026	250	3	3,019,500
18	Hamirpur	1438	250	3	1,078,500
19	Hardoi	3785	250	3	2,838,750
20	Hathras	1567	250	3	1,175,250
21	J.P Nagar	1341	250	3	1,005,750
22	Jhansi	1211	250	3	908,250
23	Kanpur Dehat	1706	250	3	1,279,500
24	Kanpur Nagar	2023	250	3	1,517,250
25	Kausambi	1702	250	3	1,276,500
26	Kushinagar	4030	250	3	3,022,500
27	Lucknow	2602	250	3	1,951,500
28	Mahoba	663	250	3	497,250
29	Mainpuri	1744	250	3	1,308,000
30	Mau	2447	250	3	1,835,250
31	Meerut	1961	250	3	1,470,750
32	Moradabad	2340	250	3	1,755,000
33	Muzaffarnagar	2139	250	3	1,604,250
34	Jalaun	1487	250	3	1,115,250
35	Pilibhit	1856	250	3	1,392,000
36	Raibareily	2474	250	3	1,855,500
37	Rampur	2378	250	3	1,783,500
38	Shajahanpur	2607	250	3	1,955,250
39	Siddharth Nagar	2749	250	3	2,061,750
40	Sant Kabirnagar	1514	250	3	1,135,500
41	Unnao	2944	250	3	2,208,000
	Total	91179			68,384,250

([illegible])
अनु सचिव,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग,
उ० प्र० शासन।